केवल नकल की फीस के लिये

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस लिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
201 / 4	3	2011	1.3.11
एक	मार्च दो	हजार ग्यारह	

नकल आदेश उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर
दिनांक 01-3-11 व धारा 34 अन्तर्गत धारा
143 ज०वि०अधि० मौजा [illegible] जिला गाजीपुर
व जिला गाजीपुर। मो० [illegible] रिसर्च
सेन्टर सर्टिफिकेट, दर्ज कराना चाहता।
दिनांक 1.3.11।

नोट - आदेश दिनांक 1.3.11 की छायाप्रति / फोटोप्रति
साथ संलग्न है।

न्यायालय उपजिलाधिकारी सदर, गाजीपुर ।

मुकदमा नम्बर 28 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0
मौजा बोरसिया परगना व जिला गाजीपुर
माँ सावित्री एजूकेशन रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्षसत्यदेव

बनाम

सरकार

उ0प्र0ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत वइप्रार्थना पत्र सत्यदेव सिंह मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष माँ सावित्री एजूकेशन रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट सागापाली जहूराबाद जिला गाजीपुरकी तरफ से इस अभिकथन का प्रस्तुत किया गया है कि मौजा बोरसिया परगना व जिला गाजीपुर की भूखण्डसंख्या सं0185रकबा 1-05 सं0 185 रकबा 0-529, 183रकबा0-013, 184रकबा0-025तथा 165रकबा0-522 कुल 5गाटा रकबा 2-139 पर वर्तमान में कृषि कार्य नहीं हो रहा है क्यों कि उपरोक्त संस्था द्वारा उपरोक्त आराजियात पर पालीटेक्निकल कालेज डालने हेतु प्रक्रिया आ की जा चुकी है ।उक्त भूखण्ड का वर्तमान में कृषि उपयोग समाप्त हो गया है इस लि उक्त भूखण्डों को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है । उपरोक्त उल्लिखित आराजियात को अकृषिक घोषित किये जाने की माँग की गई है ।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार गाजीपुर से कराया गया । स्थलीय एवं अभिलेखीय जाँच के पश्चात निर्धारित रूप पत्र पर आख्या प्रेषित की गई है जिसमें कहा गया है कि मौजा बोरसिया परगना ,तहसील,व जिला गाजीपुर के आराजी नम्बर 183/0-013 व 184/0-025,व 165/0-522 व 185सं0/0-529 वसं0 185/ 1-050है0 माँ सावित्री एजुकेशनल चैरिटेबुल ट्रस्ट बजरिये मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सत्यदेव सिंह के नाम संक्रमणीय भूमिधर के खाते में अंकित है उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं होता है। मौके पर अकृषिक है । अकृषिक भूमि घोषित करने हेतु आख्या सेवा में प्रेषित है ।

तहसीलदार गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या के परिप्रेक्ष्य में शासकीय अधिवक्ता राजस्व से आख्या माँगी गई कि क्या चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान इस न्यायालय से धारा 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है ? अपनी स्पष्ट आख्या दें ।

शासकीय अधिवक्ता राजस्व द्वारा आख्या प्रेषित की गई कि माँ सावित्री एजूकेशन रिसर्च एवं चेरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में आराजियात मौजाई को 143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत उद्घोषणा की याचना की गयी है । उक्त के सम्बन्ध में विदित हो कि चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत न आने वाली भूमि पर ही परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर को अधिकार प्रदान किया गया है । आख्या के साथ धारा 143 की व्यवस्था सलग्न किया गया है ।

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया । पत्रावली पर उपलब्ध कागजात का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध चकबन्दी कार्यालय से निर्गत इन्तखाब खतौनी 14 लगायत 1417फ0 के खाता संख्या 3 में आराजी संख्या 183/0-013, 184/0-025 व 165/0-522है0 तथा खाता संख्या 7 में आराजी संख्या 185सं0 रकबा 0-529तथा खाता संख्या 24 में आराजी संख्या 185 रकबा 1-050पर माँ सावित्री एजूकेशन रिसर्च एण्ड चैरिटेबुल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष सत्यदेव सिंह पुत्र मर्यादि सिंह निवासी सागापाली का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है । यह इन्द्राज संस्था के नाम शिक्षण संस्थान हेतु अर्जित की गई है । शासकीय अधिवक्ता द्वारा आख्या के साथ प्रस्तुत व्यवस्था 143 की व्यवस्था में यह उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि शासकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी आख्या में उल्लेख किया गया है ।शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आख्या व्यवस्था के अनुरूप न होने के कारण प्रभावकारी नहीं है । तहसीलदार गाजीपुर द्वारा अपनी आख्या द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजियात में कृषि कार्य न होना कहते हुयेअकृषिक घोषित किये जाने हेतु संस्तुति की गई है ।

अतः तहसीलदार गाजीपुर की आख्या के आधार पर मौजा बोरसिया परगना

---2

गाजीपुर ।

व जिला गाजीपुर की भूखण्ड संख्या 183/0-013, 184/0-025, 165/0-522, 185
0-529 व सं0 185 रकबा 1-050 हे0 को ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृ
षि/औद्योगिक कार्य हेतु घोषित किया जाता है । तदनुसार अभिलेख संशोधन हेतु परवा
अमलदरामद जारी होवे । आवश्यक अनुपालन के पश्चात पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे

दिनांक

01/3/11
उपजिलाधिकारी
सदर, गाजीपुर ।

TRUE COPY

SDM GHAZIPUR
1-3-11